आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 21/2012–13

आवेदक– सुरेन राय वगै0

बनाम

विपक्षी– राम किशुन यादव वगै0

आदेश

14.08.2019

आवेदक सुरेन राय वगै0, पिता– स्व0 छेदी राय, सा0– नीजग्राम, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की माँग की गई एवं आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
चुनाखली	03	02	12 बीघा

आज विपक्षी उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरूप विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदकगण सुरेन राय एवं मुरारी राय के द्वारा यह उच्छेदी वाद आवेदन विपक्षी क्रमांक 01 से 05 तक को कठोरतापूर्वक इन्कार किये जाने को लेकर तैयार कर दाखिल किया गया है। मौजा चुनाखली के जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 02, रकवा 16 बीघा 05 कट्ठा 10 धूर जमीन में से आंशिक रकवा 12 बीघा जमीन के संबंध में आवेदकगण ने श्रीमान् के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किये हैं। उक्त वर्णित जमीन का विपक्षी क्रमांक 04 एवं 05 के मृत पिता शिवलाल मोची के द्वारा आवेदकगण के पिता छेदी राम के विरूद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में टाईटिल सूट नं0– 02/1971 दायर किये थे, जिसमें सुनवाई के बाद दिनांक 02.06.1972 को शिवलाल मोची आवेदक के पक्ष में डिक्री आदेश पारित हुआ है। उस पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक के पिता छेदी राय ने कोई भी वरीय न्यायालय में अपीलवाद दाखिल नहीं किये हैं। अब्दुल रहमान उर्फ रहमान मियां के द्वारा आवेदकगण के पिता छेदी राम के विरूद्ध क्रि0मि0 केस नं0– 212/1978 आवासीयय दण्डाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन उक्त वर्णित जमीन का वाद दायर किये थे, जिसमें जारी निषेधाज्ञा विपक्षी छेदी राय के विरूद्ध सम्पुष्ट एवं आवेदकगण अब्दुल रहमान वगै0 के हित में रिक्त किया गया है। विपक्षी सं0 01 राम किशुन यादव 02. ध्रुव यादव, पिता– स्व0. बल्ला गोप एवं क्र0 03 अशोक यादव, पिता– मिश्री यादव अब्दुल रहमान अंसारी के बटाईदार हैं। अब्दुल रहमान अंसारी के मरणोपरांत 08 बीघा जमीन प्राप्त कर पूर्ण अधिकार एवं दखल में हैं तथा क्रमांक 04 एवं 05 कुल 04 बीघा जमीन के स्वामी एवं दखलकार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदकगण एवं विपक्षीगण के बीच में विभिन्न न्यायालय में मामला चला है, जिसमें विपक्षीगण का पूर्ण दखल एवं अधिकार पाया है।

अतः विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

आज आवेदकगण अनुपस्थित। आवेदकगण ने अपने मूल आवेदन में कहा है कि उक्त वर्णित मौजा चुनाखली प्रधानी एवं अहस्तांतरणीय मौजा है। मौजा चुनाखली के जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 02, रकवा 16 बीघा 05 कट्ठा 10 धूर तथा अन्य कई दागों का खतियानी रैयत कदमी घटवारीन, पति– स्व0 झखन राम एवं मौजी राम, पिता– बैजु राम है। खतियानी रैयत मौजी राय की नावल्द मृत्यू होने के कारण उनके हिस्से की सम्पूर्ण जमीन झखन राय के वंशजों के हिस्से में आ गया। आवेदकगण कदमी घटवारीन के वारिसान हैं एवं उत्तराधिकारी सूत्र से सम्पूर्ण सम्पति के स्वामी बने। आवेदकगण उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी का भुगतान कर रहे हैं। विपक्षीगण आवेदक की उक्त वर्णित जमीन को जबरदस्ती

Scanned with CamScanner

दखल कर लिये हैं तथा खाली करने के लिए कहने पर कहते हैं कि खरीद लिये है। जबकि पूरी ज
अहस्तांतरणीय है। विपक्षीगण के पास कोई भी वैध कागजात नहीं है एवं अवैध तरीके से आवेदको
जमीन को हड़प लिये है।

अतः आवेदकों ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षियों को उच्छेद कर दखल दिलाने का अनुरो
किये हैं।

अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 191/रा0, दिनांक 14.06.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन
प्राप्त। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि वर्णित जमीन का खतियान
से मिलान किया। आवेदकगण सुरेन राय दीगर, पिता– स्व0 छेदी राय, सा0– राजमहल ने मौजा चुनाखेली,
जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 02, रकवा 16 बीघा 05 कट्ठा 10 धूर का अंश रकवा 12 बीघा जमीन
नीजग्राम जमीन अब्दुल रहमान मियां तथा शिवलाल रविदास के द्वारा एग्रीमेंट कर खरीदगी की है।
विपक्षीगण राम किशुन यादव एवं अन्य लोगों के द्वारा इस जमीन पर खेती किया जाता है। तथा विपक्षीगण
के भोग दखल में है। इस संदर्भ में पूर्व में भी न्यायालय में मामला चला था तथा अधिकार विपक्षीगण
अब्दुल रहमान मियां तथा शिवलाल रविदास वगै को दिया गया है, से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है।

आवेदकगण ने अपने दावे के समर्थन में नियम P.L.J.R 1986 पेज नं0– 1013 की छाया प्रति
दाखिल किये हैं।

विपक्षीगण ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये हैं:–

1. टी0एस0 नं0– 10/67 अब्दुल रहमान–बनाम्–छेदी राय में दिनांक 09.03.1968 का आदेश की छाया प्रति।
2. टाईटिल एक्सक्यूटिव केस नं0– 01/68, अब्दुल रहमान–बनाम्'–छेदी राय में दिनांक 31.05.1969 एवं 02.06.1969 के आदेश की छाया प्रति, अमीन रिपोर्ट एवं दखल हस्तांतरण रिपोर्ट।
3. आर0ई0 वाद सं0 42/1975–76 छेदी राय–बनाम–रहमान मियां में दिनांक 17.09.1976 का अंतिम आदेश की छाया प्रति।
4. आवासीय दण्डाधिकारी के क्रि0मि0 वाद सं0 212/1978 अब्दुल रहमान–बनाम्–छेदी राय में निर्गत नोटिश तथा दिनांक 19.12.1978 के आदेश की छाया प्रति।
5. अब्दुल रहमान के नाम से पर्चा एवं लगान रसीद की छाया प्रति।
6. टाईटल सुट नं0– 02/1971 शिवलाल मोची–बनाम–छेदी राय में दिनांक 06.02.1972 के आदेश की छाया प्रति।
7. सुरेन रविदास एवं मुरारी रविदास के नाम निर्गत पर्चा की छाया प्रति एवं
8. शिवलाल रविदास एवं सुरेन रविदास तथा मुरारी रविदास के द्वारा भुगतान किये गये लगान रसीद की छाया प्रति।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, आवेदक के मूल आवेदन तथा उभय पक्षों के द्वार
दायर कागजात एवं अंचल अधिकारी, राजमहल के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट है वि
प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये है। पूर्व मे
आवेदक/विपक्षी या उनके पूर्वज विवादित भूमि से संबंधित वादों के आलोक में उनके विरूद्ध
अपील/रिभिजन की कार्रवाई कर सकते हैं।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत वाद आवेदक तथा विपक्षी के
कथन एवं उनके द्वारा पेश किये गये कागजातों के गुण/दोषों पर विचार किये बिना वाद की कार्रवा
समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner